FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/03/2022 22:02 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 29/03/2022 **Date To (दिनांक तक):** 29/03/2022

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/03/2022 **Time (समय):** 20:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 022 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/03/2022 21:40 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): unit svb rwr,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** जगदीश

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री तुलसीराम

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1972 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	कालाका रोड विकास नगर रेवाडी, REWARI, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	कालाका रोड विकास नगर रेवाडी, REWARI, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नन्दलाल SDO RWR			1. नगर परिषद रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
2	सोहन ME RWR			1. नगर परिषद रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
3	अभय सिह EO RWR			1. नगर परिषद रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र, रेवाड़ी। विषय :भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई शिकायत पर विजिलेंस टीम द्वारा तुरन्त प्रभाव से सख्त कार्यवाही करने बारे में। श्रीमान् जी, निवेदन है कि मैं जगदीश पुत्र श्री तुलसीराम निवासी विकास नगर, कालाका रोड, रेवाड़ी का स्थाई निवासी हूँ। मेरे चाचा जी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सोलूराम ने अपने एक प्लाट की अपने बेटे राजेश के नाम T.P. करनी थी जिसके लिए कमेटी से N.D.C. की जरूरत थी उन्होंने अपने बेटे राजेश को 07.12.2021 को कमेटी में जाकर Online N.D.C. Apply करने को कहा। वहाँ पर राजेश ने जाकर कमेटी के साथ दिनेश नाम के व्यक्ति के पास जाकर Online N.D.C. Apply करवाई, दिनेश ने 10 दिन का समय दिया और कहा कि आपके पास Message आएगा जिसका Application No. है 04007622472 दिनांक 07.12.2021, 10 दिन के बाद जब कोई N.D.C. का मैसिज नहीं आया तो राजेश ने इस बारे में दिनेश के पास जाकर N.D.C. का पता किया तो दिनेश ने कहा कि N.D.C. के समय का कोई पता नही है, कब होगी, अगर जल्दी करवानी है तो 20,000 रूपये लगेंगे मैं करवा दूंगा। फिर राजेश ने दिनेश को मजबूरी वश 10,000 रूपये Advance जमा करा दिए। कुछ दिन बाद जब वह N.D.C. नहीं आई तो राजेश भाई ने मुझे बताया कि दिनेश से मैंने मेरे पिताजी वाली N.D.C. Apply करवाई थी और 20,000 रूपये में दिनेश से जो कमेटी के बाहर बैठता है बात हुई थी और 10,000 रूपये मैं Advance देकर आया हूँ और अब वह N.D.C. नहीं करवा रहा है तथा पैसे की और मांग कर रहा है। मैंने कहा मैं खुद करवा लूंगा, तू उससे पैसे वापस ले आना। कहना मुझे नहीं करवानी। मैंने दिनेश से बात करी और दिनेश ने राजेश को 10,000 रूपये वापिस दे दिए और यह कहा कि तेरी फाइल पटवारी के पास पैडिंग है जिसमें जमीन के हिस्से नहीं टकरा रहे है और मैं जब कमेटी गया तो मैंने वहाँ कमेटी के अजीत पटवारी से बात की और फाइल निकवाई तो पटवारी ने कहा कि आपका हिस्सा कम है। हिस्सा नहीं टकरा रहा। जब मैंने कहा दिखाओ जमाबन्दी कैसे कम है। मैंने हिस्सा निकाला तो कहने लगा गलती से एक खेवट छूट गई है। कुछ खर्चा पानी लगेगा मैं कर दूंगा। मैंने कहा कितना तो पटवारी ने कहा 5000, मैंने पटवारी को 1000 रूपये दिए और फाइल को आगे बढ़ाने को कहा, बाकी काम होने के बाद दूंगा। मैं कुछ दिन बाद फिर N.D.C. के लिए E.O. साहब के पास Onilne Application का नम्बर दिखाकर पता किया तो कहने लगे मेरे पास कोई फाईल नहीं आई है। जब मैंने पटवारी का रजिस्टर चैक किया तो उसने फाईल को रिपोर्ट करके जे.ई. के पास भेज दिया था जे.ई. का Register चैक किया तो पता चला कि जे.ई. ने M.E-1 को रिपोर्ट करके भेज दिया M.E. I का रजिस्टर चैक किया तो M.E.-2 के पास रिपोर्ट करके आगे भेज दी M.E. -2 का रजिस्टर चैक किया तो उन्होंने Secretary साहब के पास रिपोर्ट भेज दी। और Secretary साहब का रजिस्टर चैक किया तो उन्होंने E.O. साहब के पास भेज दी। जब मैं E.O. साहब के पास गया और मैंने कहा फाईल आपके पास है तो उन्होंने संजय नाम के व्यक्ति से मिलने को कहा जो कमेटी कार्यालय में ही कार्य करता है। संजय कहने लगा यह तो Special File मैंने कहा इसमें ऐसा क्या Special है जो आज तक फाईल को रख के बैठे हो। उस समय वार्ड नं. 1 के मुकेश पार्षद भी मेरे साथ थे संजय मेरे साथ E.O. साहब के पास फाईल लेकर गया और E.O. साहब को कुछ इशारा करके फाईल E.O. साहब को दे दी। E.O. साहब का कहना था कि तुमने इस Application में Residence विकास शुल्क भरने के लिए लिखा है यह तो Reject होगी। तुमने खाली प्लाट लिखना था। मैंने कहा E.O. साहब नीचे तो खाली प्लाट लिखा है और मौके पर जाकर पटवारी

देखकर रिपोर्ट करके लाया है। E.O. साहब ने मेरी एक ना सुनी और मेरी फाईल को Reject कर दिया। उसके बाद जब मैंने अपने आस-पास वालो के प्लाट की Property ID पता करके अपनी Property ID निकाली तो वह हमारी 1000 गज की Property ID निकली जो कि खाली नाम से थी जबकि मेरे पिताजी और चाचा जी का प्लाट (522 522) 1044 गज बनता था। फिर मैंने उस Property ID को ठीक करवाने के लिए 24 जनवरी 2021 को तुलसीराम और रविन्द्र कुमार के नाम से Property ID- RW06401586AA Application No. 040313615 दिनांक 24.01.2022 को उसमें 44 गज का Area बढ़वाने और नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया। उस फाईल को भी 5 फरवरी 2022 को Reject कर दिया गया। अब मैंने M.E. साहब से कमेटी जाकर पूछा कि अब मेरी फाईल क्यों Reject कर दी तो M.E. साहब कहने लगे कि 1000 गज से उपर फाईल देखते ही अफसर मुंह खोलकर पैसा मांगते है, तू इसमें मेरी बात मान और 522522 की 2 अलग-अलग ID लगा और एक ID 522 की कुछ दिन बाद लगाना, फिर मैंने तीसरी बार फिर Apply किया जिसका Application No. 040076390095 दिनांक 06.02.2022 है। Apply करने के बाद 16.03.2022 को फिर से Reject कर दिया गया। उसके बाद में फिर M.E. से मिला और कहा अब मेरी फाईल क्यों Reject हुई है। कहने लगे कि तेरे प्लाट की जमाबन्दी का हिस्सा ज्यादा है। मौके पर प्लाट कम है मेरे ध्यान नहीं रहा। इस बार फिर से Apply करके आओ और Application नम्बर मुझे दो मैं करवा दूंगा। दिनांक 18.2.2022 को Application No. 040076363096 चौथी बार मैंने फिर से N.O.C. Apply की 25.2.2022 को इसको फिर से Reject कर दिया गया हर बार अलग-अलग objection लगाकर कर Application को Reject कर दिया गया। मैं M.E. से फिर कमेटी जाकर मिला तो कहने लगे तेरी जमाबन्दी के हिसाब से जमीन ज्यादा है और मौके पर प्लाट कम है। कमेटी में 995 गज के पैसे भरने से क्या फायदा तू इसमें से 1 खेवट हटा दे और 557 गज की N.O.C. Apply कर दें अबकी बार मेरा काम है ये करवाना, Online करके फाईल को मुझे दे जाना और Application नम्बर मुझे Whatsapp कर देना। मैंने उनके कहे अनुसार कार्य कर दिया। उन्होंने कहा खर्चा लगेगा मैं करवा दूंगा और फोन कर दूंगा और 25.2.2022 को मैंने File Online करवा दी जिसका Application No. 040076377738 और 2 मार्च 2022 को 10:06 बजे M.E. साहब को Whatsapp कर दी। उसके बाद मैं खाटूश्याम जी के मेले में चला गया। 14.3.2022 को M.E. सोहन का मेरे पास 10:20 बजे पर फोन आया M.E. साहब कहने लगे मैंने तेरी फाइल कर दी है, तू कहा है, आकर मिल लेना। मैंने कहा Sir खाटूश्याम जी हूँ 16.3.2022 को आउंगा। 16.3.2022 को सुबह 11:45 बजे पर सोहन M.E. का फिर से फोन आया 16.3.2022 को मैं फिर से कमेटी गया और जाकर M.E. सोहन से मिला तो कहने लगे तेरा काम हो गया है। मैंने कहा साहब मैंने Online N.O.C. चैक की है कि काम तो अभी बाकी है। पूरा नहीं हुआ है तो कहने लगे घर पर आकर मिल लेना तेरा काम हो जाएगा। 16.3.2022 को मैं M.E. साहब के घर गया वह घर नहीं मिले। फिर से मैं 16.3.2022 को रात को 8.00 बजे M.E. साहब के घर गया, M.E. साहब घर नहीं मिले। फिर मैंने 8:28 बजे M.E. साहब को फोन किया तो फोन नहीं उठाया। मैंने 17.3.2022 को 7 बार M.E. सोहन को फोन मिलाया उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं फिर उनके घर गया तो वो मुझे घर पर मिले साईड में आकर मुझसे कहने लगे ये किसका काम है। मैंने कहा साहब मेरे चाचा जी का काम है। कहने लगे दो लाख रूपये लगेगे पहले बात कर ले उनसे मैं करवा दूंगा। मैंने कहा साहब पैसे ज्यादा है एक लाख रूपये की तो मैंने आपके कहे अनुसार मैंने छोटू बनिया से आवाज मिलवा दी थी। ज्यादा करो तो 50 हजार और ले लो। कहने लगे पूरा दो लाख लगेगा और यह बात कहकर अंदर चले गए। उसके अगले दिन मैं फिर दुबारा उनके घर आया और उनके पिताजी नंदलाल यादव S.D.O. साहब मिले और उन्होंने पूछा क्या काम है। मैंने कहा कि M.E. साहब ने मिलने के लिए घर बुलाया था। मैंने अपना काम बताया। मेरा यह काम है। साहब आप थोड़ी अपरोच कर दो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नंदलाल S.D.O. साहब ने कहा मैं कह दूंगा, तेरा काम हो जाएगा पर खर्चा देना पड़ेगा। मैं मजबूर था और परेशान होकर मैंने कह दिया मैं दे दूंगा, काम करवा दो नंदलाल S.D.O. साहब कहने लगे 2 दिन का त्योहार है दो दिन बाद मिलना फिर 19.03.2022 को नंद लाल S.D.O. साहब का मेरे पास रात का 8:17 बजे फोन आया और फिर मैंने 8:21 पर फोन पर बात की तो S.D.O. साहब कहने लगे कि तू M.E. सोहन से मिल लिया, मैंने कहा- हॉ सर क्या कहां उन्होंने मैंने कहां सर- उन्होंने तो दो लाख रूपये की कही है। अगर दो लाख रूपये मिलेगा तो तेरा काम हो जायेगा इसमें एक लाख E.O. का, एक लाख रूपया मेरा होगा। नंदलाल S.D.O. कहने लगे कि मैंने M.E. सोहन को कह दिया है, तू मिल लेना तेरा काम हो जाएगा। पर तू छोटू से मेरी आवाज मिलवा देना। 2,00,000 (दो लाख) लगेगा मैंने कहा ठीक है जी फिर मैं अगले दिन छोटू के पास 20.03.2022 को गया और मैंने छोटू को कहा दो लाख रूपए बहुत ज्यादा है, तू बाउजी से बात कर और इस काम को कम में करवा, छोटू कहने लगा मैंने बाउजी से बात कर ली थी (सवा लाख) तक वो नहीं माने, पूरा दो लाख रूपये लेंगे, उसके बाद मैं घर आया। रात भर मैं परेशान रहा, मानसिक तौर पर परेशान होने पर 21.03.2022 को सुबह लगभग 9-10 बजे मैं अपने मामाजी शशि भूषण सैनी के घर गया और मैंने उनको यह सब कुछ बताया N.O.C. के नाम पर नंद लाल S.D.O., M.E. सोहन तथा E.O. मिलकर दो लाख रूपये मांग रहे है। मैंने उनकी शिकायत करनी है। मेरी सुनने के बाद उन्होंने चण्डीगढ D.G.P. श्री शत्रुजीत कपूर साहब को फोन मिलाया और सारी बात करके विजिलेंस टीम भेजने को कहा, कपूर साहब ने (I.P.S. श्री बलवान सिंह राणा जी) का आपके पास फोन आएगा उनसे मिलो वो इस कार्यवाही को देखेंगे। 21.03.2022 को (श्री बलवान सिंह राणा जी I.P.S.) फोन आया और उन्होंने एक टीम नियुक्त करके रेवाड़ी भेज दी। शाम को 4:29 बजे मैं और शशि भूषण सैनी जी के साथ विजिलेंस टीम से Rest House में मिले और विजिलेंस टीम को नंद लाल S.D.O., M.E. सोहन तथा E.O. अभय सिंह के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा उनकी कोई Recording आपके पास है। मैंने कहां नहीं। उन्होंने कहा Recording के नहीं करेंगे । इससे पहले हम उन्हे अरेस्ट नही करेगे । समय तक मेरे फोन में Recording का कोई app नहीं था। 21.03.2022 को विजिलेंस टीम के सामने मैंने S.D.O. साहब नंदलाल से बात करी, मैंने कहा साहब कहा हो। उन्होंने कहा मैं बावल हूँ, कब तक आओगे। उन्होंने एक घंटे का नाम लिया, एक घंटे बाद मैं फोन कर लूंगा। मैंने कहा साहब आप छोटू को बीच में मत लेना यह 10 जगह कह देगा। आप मेरे से सीधा मिल लो उन्होनें कहा मैं आकर मिलूंगा। उसके बाद विजिलेंस टीम ने मुझसे Rest House में दो Pendrive और दो लाख रूपये जो नंद लाल S.D.O. ने रिश्वत के मांगे थे वह लाने को कहा। मैंने कहा साहब मैं खाना खाकर आता हूँ और वापिसी में चाचा से ले आउंगा। लगभग 7-8 बजे मामाजी शशि भूषण सैनी के साथ 2- Pendrive और दो लाख रूपये लेकर विजिलेंस टीम के पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा कोई फोन आया, मैंने कहा सर अभी तो नहीं आया। मैंने कहा सर दुबारा मिलाउ, तो उन्होंने कहा नहीं उनको शक हो जाएगा। अब नहीं तो सुबह आएगा, फिर उन्होंने कहा कि जब फोन आए तो हमे बता देना। मैंने कहा सर आप यही रूक जाओ जो कार्यवाही करनी है वो आप करो उन्होंने कहा हम यहां नहीं रूकेंगे। मेरे मामाजी शशि भूषण सैनी ने कहा अगर आप यहा नहीं रूकना चाहते तो आपको किसी होटल में रूकवा देता हूँ। विजिलेंस टीम ने रूकने से मना कर दिया और कहा हम सुबह आ जाएंगे। फिर सुबह 7:17 बजे नंदलाल S.D.O. साहब का मेरे पास फोन आया उन्होंने मुझसे कहा, चौकी के साथ मेरा आफिस है यहां आ जाओ। फिर उन्होनें कहा कि कितनी देर में आ रहा है। मैंने कहा सर 15 मिनट में आ रहा हूँ जिसकी Recording मेरे पास है। उसके बाद मैं उनके आफिस में गया और अपने फोन को Voice Recorder पर लगा कर उनसे बात करने लगा जिसकी सारी Recording मेरे पास है। S.D.O. साहब ने मुझसे सारे System के नाम पर जिसमें M.E., E.O., Secretary सभी के नाम के दो लाख रूपये मांगे और M.E. सोहन अपने बेटे से अपने फोन से मेरी बात करवाई और कहा इनका काम कर देना। नंदलाल S.D.O. के आफिस की सारी बात रिकार्ड करने के बाद मैंने कहा शाम

को मैं दो लाख रूपये दे जाउंगा। इसके बाद मेरे पास विजिलैंस टीम का कोई नम्बर नहीं था। सारे मामले को शशि भूषण सैनी मेरे मामाजी संभाल रहे थे। मैं सीधा उनके घर गया वो घर पर नहीं मिले। पता लगा कि वो गुडगांवा गए है। घर आकर मैंने उनसे फोन पर बात की और 7:49 बजे की और 7:51 मिनट की दोनो Recording उनको भेज दी और उनके पास Recording भेज कर कार्यवाही करने को कहा। इस Recording का मेरे और शशिभूषण मेरे मामाजी के अलावा और किसी को नहीं पता था। इसके बाद सुबह 9:06 बजे और 9:08 मिनट पर दो Missed Call राम किशन यादव, बसेरा प्रोपर्टी, पता- कर्नल राम सिंह चौक के द्वारा आई जिसका फोन नं. 9812833616 है मुझे शक हुआ क्योंकि रामकिशन का E.O. के साथ कनैक्शन है। 9:47 बजे मैंने रामकिशन से बात की उन्होंने कहा तेरे से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। आफिस पर आना फोन पर बात नहीं करूंगा। फिर दुबारा जब मैंने फोन किया तो रामकिशन ने मुझ से कहा कि तूने किसी कमेटी के अफसर की Recording की है। मैंने कहा मैंने कोई Recording नहीं की। मैंने पूछा आपसे कौन कह रहा है तो उन्होंने कहा (E.O. ने) मुझसे कहा है कि जग्गी (Jaggi) नाम के व्यक्ति ने मेरी Recording की है। जब मैं उसके आफिस में गया तो वह आफिस में नहीं था। मैंने उससे फोन पर बात की उसने आधे घंटे बाद अपने आफिस में बुलाया। यह सभी बाते फोन पर रिकार्ड है। इस घटना के कुछ समय पहले 10:24 बजे और 10:25 बजे छोटू बनिया की दो Missed Call आई 10:26 पर मैंने बात की उसने कहा बहुत जरूरी काम है मेरी दुकान पर आ मैंने कहा मैं आता हूँ इससे पहले मैं उसकी दुकान पर जाता 10:45 बजे और 10:49 बजे पर दो Missed Call और आ गई, मैंने नहीं उठाया उसके कुछ समय बाद ही छोटू बनिया मेरे घर आया और कहने लगा मेरे साथ चल नंदलाल यादव S.D.O. साहब आए है तुझे मेरे प्लाट पर बुला रहे है और अपने साथ मुझे अपने प्लाट पर ले गया और वहां पर पहले से नंदलाल यादव S.D.0 मौजूद थे। मुझे प्लाट पर बिठाकर कहने लगे कि तूने मेरी Recording करके विजिलैंस को दी है। मैंने कहा साहब मैंने कोई Recording नहीं की चाहे तो मेरा फोन देख लो S.D.O. कहने लगे मेरी विजिलेंस टीम में बड़े-बड़े अफसरो से जानकारी है। गुडगांवा विजिलेंस टीम से मुझे पता चला है कि मेरी व सोहन M.E. की तेरी N.O.C. के बारे में जो बात हुई थी सुबह उसकी Recording करके विजिलेंस टीम को भेजी गई है। तो मैंने कहा साहब मैंने कोई Recording नहीं की तो S.D.O. साहब कहने लगे जगदीश हो सकता है मेरा और सोहन का फोन टेप पर लगा रखा हो। वो Recording विजिलैंस के पास गई है, उस Recording में मैंने सुना है जग्गी तेरा नाम आ रहा है। क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर M.E. सोहन से कहा था कि E.O. से तू अपने आप बात कर लेना और जग्गी का काम तू कर देना यह खर्चा पानी दे देगा। अगर तेरे से विजिलैंस वाले पूछताछ करे तो तू मना कर देना Recording तो उनके पास गई है ये Confirm है। मैंने एक-दो दिन के लिए Underground हूँ पता लगेगा तब बताउंगा Recording किसने की है। यह पक्की खबर है Recording तो हुई है। विजिलेंस टीम के गुडगांवा अफसरों से मेरी अच्छी जानकारी है। मैं इस मामले की सेटिंग कर लूंगा। लेकिन तू विजिलेंस वालों से कोई ब्यान मत देना। विजिलैंस का पता लगने पर मैंने अपने घर का सारा (Cash) इधरा-उधर करना पड़ा। फिर मैंने कहा जैसा आप कहोगे मैं कह दूंगा। मैंने कोई शिकायत नहीं की। नंदलाल S.D.O. ने धमकी दी अगर तूने कोई शिकायत या Recording की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर नंदलाल S.D.O. वहां से चल दिए। नंदलाल यादव S.D.O. के आने-जाने का सारा मामला पड़ोस में लगे कैमरे में कैद है। और भी सारे सबूत कब मैं नंदलाल के आफिस में गया, कब मैं M.E. साहब के पास गया कब रामकिशन यादव के आफिस में गया। यह सारे सबूत विजिलेंस टीम चाहे तो कब्जे में ले सकती है। श्रीमान् जी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने स्तर पर N.O.C. के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कमेटी के M.E. जैसे भ्रष्ट अफसरो ने मुझे बहुत परेशान किया और मजबूर किया, मैं हार गया । एक छोटे से कार्य के लिए मैंने समाज के जन प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित लोगो की अप्रोच लगवाई लेकिन रिश्वत के सिस्टम के आगे सब कुछ फेल हो गया। इसके बाद मैंने भी ठान लिया, अगर ये पैसा मांगते है तो पैसा दूंगा पर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जरूर करूंगा । श्रीमान् जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन भ्रष्ट अफसरो को सजा दिलवाने में मदद करें और विजिलेंस की रेड को जिसने भी Leakout किया उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि भ्रष्टाचार की जड़ो को खत्म किया जा सके। E.O., M.E. S.D.O. जैसे भ्रष्ट अफसरों द्वारा मुझे परेशान किया गया, मुझे मजबूर किया गया, मैंने अफसरों को सीधा पैसे का कोई आफर नहीं दिया, बहुत प्रयास किया देरी से ही काम होगा, पर मैं हार गया और पैसा जीत गया। पैसा हर आदमी की जरूरत है पर ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ हो जाये और आंख बंद कर ली जाए। पैसे के लालच में सरकारी अफसरो ने जनता के चुने जनप्रतिनिधि पार्षद और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और लोकतंत्र के स्तंभ मिडिया जनता की आवाज उठाने वालों की भी नहीं सुनी। सबसे पहले वार्ड नं. 1 के पार्षद मुकेश ने मेरे N.O.C. के कार्य में मदद करी और कमेटी कर्मचारियों को कहा लेकिन E.O. साहब की टेबल पर जाकर मुकेश पार्षद की आवाज को भी नजर अंदाज कर दिया गया। उसके बाद मैंने भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सज्जन सिंह यादव से भी दो बार इसी कार्य को लेकर कमेटी के M.E, E.O को कहलवाया कि यह काम सही है इसको कर दिया जाए लेकिन भ्रष्टाचारी अफसरों ने उनकी भी एक ना सुनी । इसके बाद मैं लोकतंत्र के स्तंभ मीडिया जो जनता की आवाज उठाने वाले पंजाब केसरी के ब्यरो चीफ शशिभूषण सैनी को लेकर कमेटी गया उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, चेयरमैन, M.E. को बोला, 2 घंटे तक इसी कार्य को लेकर कमेटी में बैठे रहे लेकिन उनकी भी एक ना सुनी गई। जनता के प्रतिनिधि वार्ड के पार्षद श्यामसुंदर और कमेटी के वाईस चेयरमैन ने भी मेरे कार्य को लेकर कमेटी के कर्मचारियों को कहा लेकिन उनकी भी एक ना सुनी। इस सरकारी तंत्र में केवल M.E. E.O. S.D.O. ही शामिल नहीं बल्कि पटवारी से लेकर कमेटी के सभी कर्मचारी शामिल रहते है। मेरी सरकार के गुजारिश है जिस भी कम्पनी के द्वारा Property ID Survey का काम हुआ है वह सरासर गलत हुआ है। इस कम्पनी के खिलाफ FIR दर्ज हो। इस कम्पनी को जो पेमेन्ट हुई है वह सारी पेमेन्ट रोकी जाए और इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस कम्पनी ने केवल जनता के पैसो को लूटकर कमेटी के भ्रष्ट अफसरों के जेब गरम करने का कार्य किया है। इन सभी अफसरों की शिकायत को लेकर जब मैं चेयरमैन के पास गया तो कहने लगे कि इन्होंने गलत किया, इनका कुछ नहीं होगा इनकी शिकायत तू डी.सी. साहब को कर आ यह कहकर उन्होंने भी अपना पीछा छुड़वा लिया। विजिलेंस की टीम पर मुझे पूरा भरोसा है। आप जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे और इस मामले में जो भी आरोपी शामिल है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके सख्त कार्यवाही की जाए। आपकी अति कृपा होगी। नोट: - ME सोहन व SD0 नंदलाल से मेरी उनके फोन नं0 (1) 9812892869 (2) 9416287718 है मेरे फोन मे जो रिकार्डिंग है वो मै बाद मे पेश कर दूंगा । दिनांक : 29.03.2022 प्रार्थी, जगदीश पुत्र श्री तुलसीराम निवासी कालाका रोड, विकास नगर रेवाडी - 123401 (हरियाणा) मो. नं. 9215257046 कार्यवाही पुलिस – आज मन निरीक्षक हाजीर कार्यलय हूँ और श्री जगदीश पुत्र श्री तुलसी राम निवासी विकास नगर कालाका रोड रेवाडी ने हाजिर कार्यलय आकर एक शिकायत पेश की शिकायत के विवरण से धारा 7A PC ACT का घटित होना पाया जाता है । लिखित लेख अभियोग अंकित करने के लिये पेश वहाक EHC राजीव कुमार 1052 RWR के थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम भेजा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे । अभियोग स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी मे होने के कारण स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट वा उच्च अधिकारियो की सेवा स्पेशल वाहक द्वारा भिजवाई जावे नगर परिषध कार्यलय रेवाडी बन्द हो चुका है । जो आईन्दा अभियोग अनुसंधान कार्यलय खुलने के बाद नियमानुसार अनुसंधान किया जावेगा । अज – कार्यालय SVB शाखा रेवाडी SD SURESH KUMAR INSP. SVB UNIT RWR दिनांक 29.3.2022 AT 6.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म

मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त EHC राजीव कुमार 1052 RWR के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक सुरेश कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC राजीव कुमार 1052 RWR के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 15 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1967				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)